(224)

38

—अति आवश्यक—

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2010

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांकःप.5(3)नविवि/3/99 पार्ट　　　　　　　　　　जयपुर, दिनांक

—: परिपत्र :—　　　　　　　　　　25 JAN 2010

विषयः— **राजस्थान में निजी आवासीय योजनाओं/कॉलोनी/टाऊनशिप/अन्य प्रकार की योजनाऐं विकसित करने के संबंध में बाह्य विकास कार्य।**

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.07.09 द्वारा बाह्य विकास शुल्क योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर वसूल करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। इस संबंध में कतिपय निकायों द्वारा यह संशय प्रकट किया गया है कि बाह्य विकास शुल्क परिपत्र दिनांक 03.07.09 के पूर्व भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर वसूल किया जा रहा था। इस कारण दिनांक 03.07.09 के पूर्व अनुमोदित योजनाओं में योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर बाह्य विकास शुल्क वसूल किया जावे अथवा भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर वसूल किया जावे।

अतः उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवासीय/वाणिज्यिक योजनाओं हेतु बाह्य विकास शुल्क वसूल करने के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावे—

1. परिपत्र दिनांक 03.07.09 के पूर्व अनुमोदित योजनाओं में भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर बाह्य विकास शुल्क न्यूनतम रूपये 50/—प्रति वर्गमीटर की दर से वसूल किया जावे।
2. परिपत्र दिनांक 03.07.09 जारी होने के पश्चात अनुमोदित योजनाओं के संबंध में सम्पूर्ण योजना के क्षेत्रफल के आधार पर बाह्य विकास शुल्क न्यूनतम रूपये 50/—प्रति वर्गमीटर की दर से जमा करवाया जावे।
3. ऐसी योजनाओं जिनमें विकासकर्त्ता द्वारा योजना नही बनाई या कोई विकास कार्य नही कराया तो बाह्य विकास शुल्क न्यूनतम रूपये 75/— प्रति वर्गमीटर की दर से अनुमोदित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर जमा करवाया जावें।
4. औद्योगिक प्रयोजनार्थ नगर निगम/परिषद/पालिका द्वारा अनुमोदित योजनाओं/भूखण्डों के सम्पूर्ण योजना क्षेत्रफल के आधार पर बाह्य विकास शुल्क निम्नानुसार वसूल किया जायेगा—

1	1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली स्थानीय निकाय—	न्यूनतम रूपये 50/—प्रति वर्गमीटर।
2	50 हजार से अधिक, किन्तु 1 लाख तक जनसंख्या वाली स्थानीय निकाय—	न्यूनतम रूपये 30/— प्रति वर्गमीटर।
3	50 हजार तक जनसंख्या वाली स्थानीय निकाय —	न्यूनतम रूपये 20/—प्रति वर्गमीटर।

बिन्दु संख्या 4 के अनुसार कार्यवाही करने से पूर्व संबंधित आवेदनकर्त्ता से यह अण्डरटेकिंग ली जावे कि भविष्य में नगर निकाय से किसी प्रकार के विकास कार्य की मांग नहीं करेगा।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव